L. C. BILL No. XVIII OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

विधान परिषद का विधेयक क्रमांक १८ सन् २०२६ ।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०१७ का महा. ६।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम २०१६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, अधिनियम अधिनियमित किया जाता :-

(शा.म.मु.) एचबी ७६९–१ (१०५–७-२०२६)

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाएगा।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की, धारा ६ की, उप-धारा (२) में,— सन् १९६२ का महा. ३।

(१) विद्यमान परंतुक से पूर्व निम्नलिखित परंतुक निविष्ट किया जाएगा, अर्थात,-

" परंतु, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी संस्थान या भारत में राष्ट्रीय महत्व का कोई भी संस्थान, किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या उसके विशेषाधिकारों में शामिल किया जा सकेगा यदि ऐसा संस्थान विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर स्थित हो :";

(२) विद्यमान प्रथम परंतुक में "परंतु" शब्द में स्थान में "परंतु यह और भी कि" शब्द रखे जाएंगे;

(३) विद्यमान द्वितीय परंतुक में, "परंतु और यह कि" शब्दों के स्थान में "परंतु यह और भी कि" शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ८ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (६) कें स्थान में निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थातः-

"(६) राज्य सरकार को, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझें, उसके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी संबद्ध, संचालित या स्वायत्त महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभागों का निरीक्षण कराने का अधिकार होगा ।"।

सन् २०१७ का महा. ६ की नई धारा ३५क का निवेशन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३५ के पश्चात् निम्न धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

अध्ययन विद्यालय.

"**३५क.** (१) विश्वविद्यालय में प्रत्येक संकाय के अधीन जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए के नुसार अध्ययन विद्यालय होंगे।

(२) संबंधित विषयों या विषयों के समूह में अध्ययन और अनुसंधान के पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्यविद्यालय के विभाग और केंद्र संबंधित अध्ययन संकाय के संरक्षण में कार्य करेंगे।

(३) प्रत्येक अध्ययन विद्यालय का प्रमुख एक निदेशक होगा, जो कुलपति द्वारा उन विभागाध्यक्षों में से चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित किया जाएगा, जिन्हें विश्यविद्यालय में प्राध्यापक या सहयोगी प्राध्यापक के रूप में अध्ययन का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव हो, और यह नामनिर्देशन से तीन से अनधिक वर्षों की अवधि के लिए होगा।

(४) अध्ययन विद्यालय के कृत्य और प्रशासन, अध्ययन विद्यालय के निदेशक नामनिर्देशन की प्रक्रिया, निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसमें उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, परिनियमों द्वारा यथाविहित होगा ।"।

सन २०१७ का महा. ६ की धारा ६५ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ६५ में, "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "एक पदेन सदस्य को छोडकर" शब्द निविष्ट किए जाएंगे ।

६. मूल अधिनियम की धारा ७० में,— सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ७० में संशोधन ।

(एक) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

(१) प्रबंध परिषद से अन्यथा किसी भी प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्य की कोई रिक्ति उसकी सामान्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पाई जाने पर, वह रिक्ति उप-धारा (३) के अधीन गठित स्थायी समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी जो उसी प्रवर्ग से उक्त प्राधिकरण पर निर्वाचित होने के लिए पात्र हो अन्य।";

(२) उप-धारा (२) में, "पदेन से सदस्य अन्यथा" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे।

७. मूल अधिनियम की धारा ७९ के स्थान पर, निम्न धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ७९ में संशोधन।

"७९. (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक लोकपाल होगा जो विश्वविद्यालय, संबद्ध और स्वायत्त महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सभी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई और निपटारा करेगा, उन संस्थानों को छोड़कर जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित और सम्पोषित है। लोकपाल।

(२) लोकपाल राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों तथा उन शिकायतों की सुनवाई और निपटारा नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

(३) कुलपति लोकपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जिला न्यायाधीश के पद से अनिम्न श्रेणी के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधिशों के एक पैनल की सफारिश राज्य सरकार के विचारार्थ करेंगे।

(४) राज्य सरकार को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों के पैनल में शामिल व्यक्तियों में से किसी एक को विश्वविद्यालय के लिए लोकपाल नियुक्त करेगा।

(५) लोकपाल अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, तथा एक अधिक अवधी के पूर्नर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु, लोकपाल सत्तर वर्ष की आयु पूरी होने पर पदधारण नही करेगा।

(६) राज्य सरकार का उच्च एवं तकतीकी शिक्षा विभाग प्रमाणित कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों पर लोकपाल को पद से हटा सकता है।

(७) लोकपाल को पद से हटाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी व्यक्ति द्वारा जाँच न की गई हो, जिसमें लोकपाल को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

(८) लोकपाल विश्वविद्यालय द्वारा जिसे निर्धारित किया जाए ऐसे पारिश्रमिक और वाहन शुल्क के हक़दार होंगे।

(९) लोकपाल दोनों पक्षों की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उप-धारा (१) में उल्लिखित शिकायतों पर निर्णय करेंगे।

(१०) लोकपाल, शिकायत दाखिल होने के दिनांक से, जहां तक व्यावहारिक हो, तीन महीने के भीतर विधि के अनुसार शिकायतों की सुनवाई, समझौता और निपटारा करेंगे।

(११) विश्वविद्यालय लोकपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए सहायक रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के विश्वविद्यालय के अधिकारी के नेतृत्व में एक कक्ष स्थापित करेगा।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ८१ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ८१ की, उप-धारा (१) में, अर्थात् :—

(एक) खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न रखा जाएगा अर्थात्,—

"(ख) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त लोकपाल के विनिर्णय से व्यथित कोई पक्ष ;";

(दो) विद्यमान, परंतुक में, "शिकायत समिति" शब्दों के स्थान में, "लोकपाल" शब्द रखा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १२१ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा १२१ में निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(९) संबद्ध महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त संस्थान, संकाय, अध्ययन पाठ्यक्रम या उपगृह केंद्र के बंद होने के मामले में, प्रबंधन ऐसे बंद होने से प्रभावित अध्यापकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की स्थापना और सेवाओं से उद्‌भूत होने वाले सभी दायित्वों के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पदों पर नियुक्त अध्यापकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के ऐसे दायित्वों को छोडकर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।"।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १३७ का संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा १३७ की, उप-धारा (३) में, "विश्वविद्यालय के एक निजी छात्र के रूप में या पत्राचार पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय के किसी अन्य बाहरी उपाधि, या डिप्लोमा पाठ्याक्रम में शामिल होने" शब्दों के स्थान में, "विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तावित उपाधि, या डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्र के रूप में" शब्द रखे जाएंगे। सन् २०१७ का महा. ६।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन २०१६ का महा. ६) शैक्षणिक स्वायत्तता और उत्कृष्टता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व, उच्च शिक्षा को मजबूत करने,विनियमित करने और उसमें बदलाव लाने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. प्रभावी शैक्षणिक प्रशासन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सभी विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, उक्त अधिनियम में नई धारा ३५क के निवेशन द्वारा विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय के अधीन अध्ययन विद्यालय के लिए नया उपबंध करना आवश्यक समझा गया है।

३. शिकायत समिति की वर्तमान संरचना में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अधिकारी जैसे रजिस्ट्रार, संकायाध्यक्ष, विधि अधिकारी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजातियों का अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित एक अध्यापक और विद्यापरिषद द्वारा नामित महाविद्यालय का एक गैर-शिक्षण कर्मचारी सम्मिलित है, जो शिकायत समिति के सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालयों के साथ-साथ महाविद्यालय या संस्थानों के कर्मचारियों की शिकायतें शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाती हैं। शिकायतों के निवारण में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अधिकारियों की अंतर्ग्रस्तता के कारण, निष्पक्ष निवारण सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। इसलिए, विश्वविद्यालयों, संबंद्ध और स्वायत्त महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की शिकायतों का निष्पक्ष, शीघ्र और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम में नई धारा ७९क सम्मिलित करके शिकायत समिति को लोकपाल से बदलने का प्रस्ताव है।

४. साथ ही, विश्वविद्यालयों के साथ सरकारी संस्थानों के संघ को सुगम बनाने, राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों और संबंद्ध संस्थानों का निरीक्षण करने में सक्षम बनाने, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों से संबंधित उपबंधों को तर्कसंगत बनाने, लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील का उपबंध करने और कुछ परिणामी संशोधन करने के लिए, सरकार उक्त अधिनियम की धाराओं ६,८, ६५,७०, ८१, १२१ और १३७ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २ जुलाई, २०२६।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्री।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २ जुलाई, २०२६।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव (३),
महाराष्ट्र विधान परिषद।

प्रत्यायुक्त विधान संबधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्गस्त है, अर्थात :—

खंण्ड ४(४).—इस खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय को अध्ययन विद्यालय के कृत्य और प्रशासन, अध्ययन विद्यालय के निदेशक के नामनिर्देशन की प्रक्रिया, निर्देशक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों समेत उसकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोलिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.